

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-1/अ0प्र0-01-18/2011

53

/पटना, दिनांक 29.1.25

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 द्वारा लागू अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत समूह 'ग' के कार्यालय परिचारी/परिचारी विशिष्ट संवर्ग के कर्मियों को उच्चतर पद का अस्थायी व्यवस्था के तहत कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) दिये जाने के निमित्त विचार करने हेतु निम्नरूपेण विभागीय स्क्रीनिंग समिति गठित की जाती है:-

1	अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग	अध्यक्ष
2	विभागीय प्रोन्नति समिति/स्क्रीनिंग समिति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी	सदस्य
3	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मनोनीत सदस्य	सदस्य
4	आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग	सदस्य
5	उप सचिव/अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग	सदस्य
6	विभाग अन्तर्गत पदस्थापित अल्पसंख्यक समुदाय के पदस्थापित पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग	सदस्य

2. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(कुमार अनिल सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापक-1/ अ0प्र0-01-18/2011 1096

/पटना, दिनांक 29.1.25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा/सभी संयुक्त सचिव/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/अवर सचिव (लेखा) एवं संबंधित कर्मी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

7/11/25 22:01:18

ज्ञापांक-1 / अ0प्र0-01-18 / 2011 1096 / पटना, दिनांक 29.1.25

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन कोषागार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
/ पटना, दिनांक 29.1.25

ज्ञापांक-1 / अ0प्र0-01-18 / 2011 1096

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव